राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3281/2024

भीम सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, खान और पेट्रोलियम विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, खान और पेट्रोलियम विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, खान, राजस्थान, उदयपुर।
4. सहायक खनन अभियंता, रूपवास, जिला भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.11.2024
आदेश की दिनांक : 06.12.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में खनि कार्यदेशक श्रेणी प्रथम के पद पर कार्यालय सहायक खनि अभियंता, रूपवास, भरतपुर में कार्यरत है। हाल ही अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2013 में खनि कार्यदेशक श्रेणी द्वितीय के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 23.02.2024 के द्वारा श्रेणी प्रथम के पद पर पदोन्नति दी गई और तब से निरंतर अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 29.10.2024 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। प्रतिबंध अवधि के दौरान

अपीलार्थी को कार्यालय खनि सहायक अभियंता आदेश दिनांक 05.08.2024 के द्वारा कार्यव्यवस्थार्थ लगाया गया। अपीलार्थी को वाहन जांच का कार्य नहीं दिया गया। अपीलार्थी ने हमेशा कर्तव्यनिष्ठा पूर्वक ईमानदारी से सेवायें दी हैं और गलत लोगो के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये फरवरी, 2024 से 15 अक्टूबर, 2024 तक अपीलार्थी ने रूपये 79.48 लाख की वसूली की है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक है और जिसकी सूचना अभी अखबारों में प्रकाशित की गई। उनका कथन है कि स्थानीय दैनिक अखबार में अवैध रूप से खनन के संबंध में खबर प्रकाशित की गई और जिसके आधार पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जांच समिति गठित की गई और वाहन इत्यादि की जांच की गई तथा वसूली आदेश भी वाहन स्वामियों के विरूद्ध जारी किये गये और लिप्त दोषियों के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा निलंबित कर दिया गया तथा जांच लंबित है। जबकि सत्य यह है कि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई जांच लंबित नहीं है और अपीलार्थी को स्थानांतरण करने के आशय से आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है और आदेशों की प्रतीक्षा में जारी किये जाने के आदेश के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है तथा बिना अनुमति के ही स्थानान्तरण आदि पर लगे प्रतिबंध के बावजूद अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, जो नियम विरूद्ध है तथा आदेशों की प्रतीक्षा में जारी किया गया आदेश भी राजस्थान सेवा नियम के नियम 25क के विरूद्ध है और इस प्रकार के मामलों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एवं माननीय अधिकरण द्वारा भी इस प्रकार के आदेशों को अनुचित माना है। इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य एपीओ आदेश विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 29.10.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को रूपवास, भरतपुर में निरंतर कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य एपीओ आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्तावित स्तर पर है और जांच कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया जा सके, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी को एपीओ किया गया है। अपीलार्थी को एपीओ कर मुख्यालय निदेशालय उदयपुर किया गया है, जिसमें कोई नियम विरूद्धता नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन खनि कार्यदेशक श्रेणी प्रथम के पद पर कार्यालय सहायक खनि अभियंता, रूपवास, भरतपुर में कार्यरत है। हाल ही अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2013 में खनि कार्यदेशक श्रेणी द्वितीय के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 23.02.2024 के द्वारा श्रेणी प्रथम के पद पर पदोन्नति दी गई और तब से निरंतर अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 29.10.2024 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। जहां तक अपीलार्थी को उक्त आलोच्य आदेश के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.01.2023 जिसके द्वारा स्थानांतरण आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है और सीएमओ कार्यालय की अनुमति के बिना स्थानांतरण संबंधी आदेश जारी किये जाने से मना किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि सक्षम स्तर पर एपीओ आदेश जारी करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त की गई हो। ऐसे मामलो में हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10490/2024 डॉ. महेश कुमार पंवार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.09.2024 जिसमें निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है :–

> *"The discussion made above, therefore, clearly shows that the awaiting posting order passed in the present case is not-in conformity with the provisions of law discussed above as neither it discloses any administrative exigency or emergent nature nor appropriate permission from the office of the Hon'ble Chief Minister was obtained before passing the order impugned. Consequently, the writ petition merits acceptance. The same is allowed. The order impugned dated 24.06.2024 (Annex.5) and its consequential relieving order dated 25.06.2024 (Annex.6) are quashed and set aside."*

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 25ए में निम्नलिखित आधारों पर ही कार्मिक को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जा सकता है :–

> *"(1) On return from leave. (2) On reversion to parent department from deputation within India. (3) On return from abroad*

after completion of training or foreign assignment. (4) On return from training within India. (5) Awaiting posting order after making over charge of the old post under the directions of Appointing Authority. (6) Non-acceptance of the officer on transfer to another post. (7) To save a Government servant from reversion."

इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य आदेश दिनांक 29.10.2024 उक्त नियमों एवं उक्त न्यायिक विनिश्चय के विपरीत जाकर जारी किया गया है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य एपीओ आदेश दिनांक 29.10.2024 को अपास्त फरमाया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य